न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी—श्री मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या—1942/2016 दिनांक 16—01—2019

उनवान

1. अर्जुन पिता नन्दसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
2. जगदीश पिता नन्दसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
3. मनोहरसिहं पिता नन्दसिहं राजपूत वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर

..............प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराये जाने मौके की सही जांच कर इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित— 1.श्री फारूख मोहम्मद वकील प्रार्थी
2. तहसीलदार भदेसर

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ तहसील भदेसर की जमाबन्दी खतौनी संख्या नई 7 में अंकित आराजी नम्बर 885 मीन रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहें हैं साक्ष्य में जमाबन्दी अवेदन के साथ पेश है ।
2. यह कि उक्त वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 25.05.1981 के आदेश द्वारा आराजी नम्बर 885 मीन रकबा 4

16.1.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

बीघा 12 बिस्वा को प्रार्थीगण के पिता को आंवटित किया गया था तभी से ही प्रार्थीगण व इनके पिता उक्त आराजी पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहें है प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गई है ।

3. यह कि हम प्रार्थीगण की आराजीयात 885 मीन के कुल रकबा में से सेटलमेन्ट के दौरान विभाग की लिपिकीय त्रृटि के कारण कुछ रकबा संहवन से बिलानाम सरकार के खाते में दर्ज हो गया था जिससे हमारी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का रकबा वर्तमान की जमाबन्दी में से कम हो गया जबकि हम प्रार्थीगण अभी मौके पर पूर्व में आवंटित शुदा सम्पूर्ण आराजी के रकबे पर काबिज हो काश्त कर रहें हैं हमारे खाते कम रकबा कानून भूल होकर टेक्नीकल गलती के कारण हुआ जिसे न्यायहित दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है ।

4. यह कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी के साबिक आराजी नम्बर 885 मीन रकबा 4 बीघा 12 बिवा हाल आराजी नम्बर 1102 रकबा 0.24 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1109 रकबा 0.30 हैक्टैयर है जिसमें हमारे कुल रकबे में से कुछ रकबा आ0न0 1111 में टेक्नीकल गलती से बिलानाम सरकार के खाते में दर्ज हो गया था साथ में मिलान खसरा पेश है ।

अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण को उनके मौके कब्जे अनुसार व पूर्व में उनकी खातेदारी में दर्ज रकबे इन्द्राज अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती आदेश पारीत फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार भदेसर से राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति के आधार रिपोर्ट ली गई जिन्होंने पत्र संख्या राजस्व!18/88 दिनांक 25.05.2018 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि

1. ग्राम नाहरगढ की साबिक नम्बर 885 मी रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले 1.16 हैक्टैयर बनते है नवीन भू प्रबन्ध रेकार्ड मं नये खसरा नम्बर 1102 , 1109 किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्टैयर दर्ज किया गया जो कम है अर्थात् 0.62 हैक्टेयर भूमि कम कर दी गई है जिसका परिलाभ प्रार्थी को दिया जाना उचित है ।

2. मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक नम्बर 885 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा के नये नम्बर 1102, 1104, 1109, 1111 बने है जिनमें से आ0न0 1111 रकबा 0.50 हैक्टेयर पर प्रार्थी काबि होकर काश्त कर रहें है जो सही है ।

3. बिलानाम आराजी नम्बर 1111 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी अर्जुन मनोहर जगदीश पि0 नन्दसिह के नाम दर्ज की जाना उचित है ।

16/1/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है कि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज साबिक आ0न0 885 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले 1.16 हैक्टैयर भूमि खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु भू प्रबन्ध द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी में केवल आ0न0 1102, 1109 किता 2 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज कर 0.62 हैक्टैयर भूमि का विलोपन कर दिया गया मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित होता है कि आराजी नम्बर 1111 रकबा 0.50 हैक्टैयर गत आराजी नम्बर 885 मी से बना है जो प्रार्थीगण पुनः अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है । चूंकि उक्त साबिक आराजी के रकबे के मुकाबले एंव प्रार्थीगण के मौके पर मूल रूप से कब्जे के अनुसार बिलानाम आराजी नम्बर 1111 रकबा 0.50 हैक्टैयर भूमि ही उपलब्ध होने से इतनी ही भूमि का समायोजन प्रार्थीगण के खातेदारी में कराया जा सकता है ।

अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज ग्राम नाहरगढ की साबिक नम्बर 885 मी रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भू प्रबन्ध से कायम नवीन खसरा नम्वर 1102 , 1109 किता 2 कुल रकबा 0. 54 हैक्टैयर से विलोपित हुए कमी रकबे का समायोजन प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार बिलानाम आराजी नम्बर 1111 रकबा 0.50 हैक्टैयर भूमि से करने का आदेश दिया जाता है तथा इसी अनुसार शुद्वि से राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भिजाई जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

16/1/19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner